सुसंगत दस्तावेजों को उधार लेनेवाली सरकार के पास अपने लोक सेवा आयोग से परामर्श के लिए, यदि आवश्यक हो, और आवश्यक स्वीकृति देने के लिए भेजेगी। इन दस्तावेजों को भेजते समय उधार देनेवाली सरकार को यह भी बताना होगा कि वह अंकेक्षण पदाधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत हैं या नहीं, और यदि नहीं तो उसे अवार्ड की अनुमान्यता और परिमाण के सम्बन्ध में अपना विचार प्रकट करते हुए कारण बताना होगा।

3. ऊपर की कंडिका में अंतर्विष्ट निर्णय केन्द्र सरकार के अन्य विभागों में प्रतिनियोजन पर गये डाक-तार, रेल और रक्षा विभागों के सरकारी सेवकों तथा विलोमतः को भी आवश्यक परिवर्त्तनों के साथ लागू होगा और इन आदेशों के लिए ये तीनों विभाग अलग-अलग सरकार समझे जायेंगे।

4. ये आदेश 1-1-1962 को या उसके बाद प्रोद्भूत मामलों को लागू होंगे। जो मामले पहले ही अन्यथा निष्पादित कर दिये गये हों उन्हें फिर से खोलने की आवश्यकता नहीं है।

5. ये आदेश यू०पी० राज्य से केन्द्र सरकार में प्रतिनियोजन पर रहने वाले राज्य सरकारी सेवकों और विलोमतः को लागू नहीं होंगे। ये आदेश अखिल भारतीय सेवाओं के पदाधिकारियों को लागू नहीं होंगे।

6. जहाँ तक भारतीय अंकेक्षण और लेखा विभागों में सेवारत् व्यक्तियों का सम्बन्ध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से परामर्श के बाद निर्गत किये गये हैं।

अध्याय–10

पेंशन के लिये आवेदन और उसकी मंजूरी

प्रकरण 1 : सामान्य

188. इस नियमावली के अधीन पेंशन संबंधी आवेदनों पर कार्रवाई करने वाले सभी प्राधिकारी यह बात ध्यान में रखेंगे कि पेंशन के भुगतान में विलम्ब होने से विशेष प्रकार की कठिनाई होती है। अतः यह सुनिश्चित कर लेना अत्यावश्यक है कि सरकारी सेवक को पेंशन, देय होने की तारीख से ही, पेंशन मिलने लगे।

189. हरेक सरकारी सेवक पेंशन के लिये औपचारिक आवेदन करेगा। सरकारी सेवक को, अपने ही हित में, अपनी वास्तविक या प्रत्याशित निवृत्ति की तारीख से *18 माह पहले, यथास्थिति, नियम 193 या 196 में उल्लिखित प्राधिकारी के पास पेंशन के लिये औपचारिक आवेदन कर देना चाहिये –

परन्तु –

(i) जहाँ *[18 माह] पहले निवृत्ति की तारीख मालूम न हो सके, वहाँ आवेदन निवृत्ति की तारीख निर्धारित हो जाने पर तुरंत किया जायेगा; और

(ii) जो सरकारी सेवक *[18 माह] से अधिक की निवृत्ति-पूर्व छुट्टी पर जा रहा हो, वह ऐसी छुट्टी पर जाने के समय आवेदन कर देगा।

टिप्पणी : इस नियम का उद्देश्य यह है कि पेंशन संबंधी दावों के निबटाने में विलम्ब न हो तथा कोई सरकारी सेवक इस गलत धारणा के साथ निवृत्त न हो कि उसने पेंशन उपार्जित की है, और वह बाद में अनुमान्य न पायी जाये। निवृत्ति के बाद अवधि के संबंध में वस्तुतः कोई ऐसी सीमा नहीं है जिसके भीतर पेंशन या उपदान के लिये आवेदन अवश्य ही कर दिया जाना चाहिये, किन्तु विशेष आदेश न रहने पर जिस पेंशन के लिए आवेदन सरकारी सेवक की निवृत्ति के बाद किया जायेगा, वह पेंशन आवेदन की तारीख से ही देय होगी (देखें नियम 209 भी)।

राज्य सरकार का निर्णय –

1.

*यह निर्णीत किया गया है कि सरकारी सेवक को अपने सेवा-निवृत्ति की तिथि से 18 माह पूर्व ही पेंशन हेतु आवेदन करना चाहिए और सम्बन्धित विभाग को पेंशन कागजात सेवक की निवृत्ति की तिथि के 18 माह पूर्व तैयार करना चाहिए। [*जी०ओ०ना० 1030/61-12928 वि०, दिनांक 4-9-1962]

2.

***विषय : सेवानिवृत्ति के 12 महीने (अब 18 महीने) पहले पेंशन-मामले का उपस्थापन ।**

महालेखाकार, बिहार के द्वारा राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया है कि पेंशन स्वीकृत करनेवाले प्राधिकारियों द्वारा अंकेक्षण-प्राधिकारियों को सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति के बहुत बाद पेंशन-मामले सौंपे जाते हैं, फलस्वरूप पेंशन-मामला के निष्पादन में काफी विलम्ब होता है ।

2. इस सम्बन्ध में बिहार पेंशन नियमावली के नियम 189 साथ-साथ पठित वित्त विभाग ज्ञापांक पेन-1030/61-12928 एफ०, दिनांक 4 सितम्बर, 1962 की कंडिका 5 की ओर ध्यान दिलाया जाता है जिसमें प्रावधान है कि सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति के 12 महीने पहले अंकेक्षण कार्यालय को पेंशन-मामला सौंप दिया जाये । निस्संदेह, सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद सरकारी सेवकों को 75% पेंशन और उपदान देने का आवश्यक प्रावधान वित्त विभाग पत्रांक पेन-1032/67/8739 वि०, दिनांक 13 जुलाई, 1967 में किया गया है । किन्तु उक्त प्रावधान केवल उन्हीं मामलों के लिए हैं जिनमें पेंशन मामलों का अन्तिम निष्पादन नहीं हुआ है । सामान्यत: सभी पेंशन-मामले 12 महीने पहले संसाधित करके अंकेक्षण कार्यालय को सुपुर्द किए जाने हैं, जिससे सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद सरकारी सेवक को उसकी पूरी पेंशन और उपदान दिया जा सके ।

3. अत: अनुरोध है कि अपने अधीन सभी पेंशन स्वीकृत करनेवाले प्राधिकारियों को आवश्यक निदेश भेज दें कि वे सम्बद्ध सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति के 12 महीने पहले उनके पेंशन-मामले महालेखाकार, बिहार को भेज दें तथा सभी लम्बित पेंशन-मामलों का स्थानिक पुनर्विलोकन करें ताकि लम्बित पेंशन मामलों का निष्पादन अगले छह महीनों के भीतर किया जा सके । (अब 12 महीने के बदले 18 महीने पढ़ा जाए)

[*ज्ञापांक पेन-1021/68/463 वि०, दिनांक 16-1-1969]

3.

***विषय : पेंशन/ग्रेच्यूटी हेतु सेवा का सत्यापन ।**

लम्बित पेंशन मामलों में निष्पादन हेतु दौरा के क्रम में समीक्षा के समय यह पाया गया है कि सेवानिवृत्त/ मृत सरकारी कर्मचारियों की सेवा-पुस्त विभिन्न कार्यालयों में Acquittance Roll के आधार पर सेवा सत्यापन के लिए भेजी जाती है । इस प्रकार की प्रक्रिया के चलते पेंशन मामलों के निष्पादन में काफी समय लग जाता है और फलस्वरूप पेंशनरों तथा उनके परिवार के सदस्यों को समय पर पेंशन नहीं मिलने से आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है ।

2. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या पेन-1032/67-8739 वि०, दिनांक 13-7-1967 के निम्नांकित प्रावधान के अनुसार अब सेवा-सत्यापन के लिए सेवा-पुस्त विभिन्न कार्यालयों में भेजना आवश्यक नहीं है –

"यह निर्धारित किया गया है कि ऐसे मामलों में सेवा की प्रथम तिथि जो पेंशन हेतु अर्हक है, निवृत्ति तिथि और सेवा के बीच की अवधि जो पेंशन के लिए अर्हक नहीं है का ही सिर्फ सत्यापन होना चाहिए तथा अनर्हक सेवा की अवधि को घटा कर अर्हक सेवा का निर्धारण होना चाहिए ।"

पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी को उपर्युक्त निर्णय के अनुसार सेवा पुस्त में की गई प्रविष्टियों के आधार पर ही सेवा का सत्यापन करना है । सत्यापन करने हेतु प्रमाण-पत्र का एक नमूना दिया जा रहा है –

"प्रमाणित किया जाता है कि श्री – सम्बद्ध सरकारी सेवक का नाम एवं पदनाम सरकारी सेवा में निवृत्त हुए/मर गये । उपर्युक्त अवधि में उनके द्वारा की गई सेवा लगातार एवं पेंशन प्रदायी है ।"

(हस्ताक्षर पेंशन स्वीकृति पदाधिकारी पदनाम सहित)

[*वित्त विभाग ज्ञाप संख्या पी०सी० 2-701/78/1690 वि०, दिनांक 9-2-1978]

190. महालेखापाल, हरेक, राजपत्रित सरकारी सेवक के पास, जिस तारीख को वह बुढ़ापा-निवृत्ति की उम्र का हो जाये, उस तारीख के [अठारह महीने] पूर्व, अथवा जिस तारीख से उसने निवृत्त होने के लिये, औपचारिक रूप से अनुमति माँगी हो, यदि वह पहले हो तो, उस तारीख के पूर्व यथाशीघ्र 189 से 193 तक नियमों की एक प्रतिलिपि इस अभ्युक्ति के साथ भेजेगा कि यदि वह नियमानुसार औपचारिक आवेदन-पत्र नहीं देगा, तो उसकी पेंशन के आरंभ होने में विलंब की संभावना रहेगी ।